



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 8, सोमवार, शाके 1939-अक्टूबर 30, 2017
Kartika 8, Monday, Saka 1939- October 30, 2017

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
जन अभियोग निराकरण विभाग
अधिसूचना
जयपुर, अक्टूबर 30, 2017

संख्या F16(1)RPG/2017 :-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 की अधिनियम सं० 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं० प.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 4 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 25 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 25ए एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

25ए	टेलिकॉम केबल, डक्ट आदि डालने के लिए राइट ऑफ वे और/अथवा सड़क काटने की अनुमति प्रदान करना।					
(1)	आवेदन करने के उपरान्त राशि जमा करवाने हेतु तकनीका देना।	10 दिवस	अधिशारी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अति० मुख्य अभियन्ता
(2)	राशि मय बैंक गारंटी/अनुबन्ध/वन विभाग की अनापत्ति (जो भी आवश्यक हो) जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान करना।	7 दिवस	अधिशारी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अति० मुख्य अभियन्ता

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 7 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 44 के सामने कॉलम संख्या 4 के खण्ड (11) तथा उसके सामने कॉलम संख्या 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

(अ) जहां आवेदक द्वारा निगम से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं एवं राइट ऑफ वे (RoW) की आवश्यकता नहीं है।	(अ) सगस्त एवं संपूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 7 दिवस अवधि में	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशारी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
(ब) जहां आवेदक द्वारा निगम से सम्बन्धित सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं एवं राइट ऑफ वे (RoW) की आवश्यकता है।	(ब) समस्त एवं संपूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना प्राप्ति पत्र के 15 दिवस अवधि में				

(iii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 11 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 65 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या. 65ए एवं 65बी एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

65ए	राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापितियां प्रदाय) नियम 1973 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में होटल बार/क्लब बार लाईसेंस जारी	30 दिवस	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि), राजस्थान, उदयपुर	-	-	तकनीकी कारणों, यथा सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयवधि में उपलब्ध नहीं कराई जा
-----	---	---------	---------------------------------	---	---	---	---

			(संबंधित)	प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)			
108 सी	भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही।	60दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशापी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक /सहायक अभियन्ता/ राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108 डी	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत ले-आउट प्लान अनुमोदन।	45दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशापी अधिकारी (संबंधित)	उप/सहायक नगर नियोजक/नगर नियोजन सहायक/वरिष्ठ प्रारूपकार/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108 ई	उप-विभाजन व पुर्नगठन	30 दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशापी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक /सहायक अभियन्ता/ राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	

					नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)			
108 एफ	लीजडीड/पट्टा जारी किया जाना।	15 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक/सहायक अभियन्ता/राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय		
108 जी	भवन मानचित्र अनुमोदन (यदि आवश्यक हो तो) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व. मी. तक (आवासीय) भूखण्ड का क्षेत्रफल 225 व. मी. तक (व्यावसायिक) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व. मी. तक (औद्योगिक)	15 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक/सहायक अभियन्ता/राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय		
	भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से कम (समस्त उपयोग)	21 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक/सहायक अभियन्ता/राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय		

					अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय-सहायक/कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)		
	भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से अधिक (समस्त उपयोग)	30 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक/सहायक अभियन्ता/राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108 एच	ट्रेड लाईसेंस जारी किया जाना।	07 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	डिलिंग क्लर्क/स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108 आई	अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र।	07 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी/जोन आयुक्त लेखाकार/संबंधित लिपिक/कैशियर नगर परिषद स्तर पर अग्निशमन अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अग्निशमन अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय सहायक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय	

108 जे	पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी करना। प्लिन्थ लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना कम्प्लीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट	7 दिवस 8 दिवस (7 दिवस मौका निरीक्षण + 1 दिन कम्प्लीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु)	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108 के	लीज राशि जमा एवं लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना।	07 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108 एल	नगरीय विकास कर जमा कराना।	03 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108 एम	सीवर कनेक्शन जारी करना।	03 दिवस	निगम/परिषद/स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर वरिष्ठतम् तकनीकी अधिकारी/(अभियंता) अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक नगर परिषद स्तर पर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक नगर पालिका स्तर पर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय

(vi) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 21 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 128 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 128ए एवं 128बी एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

128ए	(i) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी एवं भू-रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति-		आयुक्त, उद्योग	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	मुख्य सचिव
	(अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।	पत्रावली पूर्ण होने से 7 दिवस की अवधि में।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	आयुक्त, उद्योग	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग
	(ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 7 दिवस की अवधि में।				
	(ii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भू-कर में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति-		आयुक्त, उद्योग	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	मुख्य सचिव
	(अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।	पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	आयुक्त, उद्योग	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग
	(ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में।	आयुक्त, उद्योग	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	
	(iii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत निवेश अनुदान एवं रोजगार सृजन अनुदान की स्वीकृति		महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	आयुक्त, उद्योग	मुख्य सचिव
	(अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।	पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में।	आयुक्त, उद्योग	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग
	(ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	आयुक्त, उद्योग	
	(iv) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत टैक्सटाइल, एगो प्रोसेसिंग एवं आई.टी. सैक्टर में ब्याज अनुदान की स्वीकृति		आयुक्त, उद्योग/ वहा अधिकारी जिसे आयुक्त, उद्योग द्वारा शक्तियां प्रदत्त है।	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग

		(अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज। (ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज (व) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत टैक्सटाइल, एग्री प्रोसेसिंग एवं आई.टी. सैक्टर में ब्याज अनुदान का वितरण (vi) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत निवेश अनुदान एवं रोजगार सृजन अनुदान का वितरण	पत्रावली पूर्ण होने से 60 दिवस की अवधि में। पत्रावली पूर्ण होने से 60 दिवस की अवधि में। पत्रावली पूर्ण होने से 30 दिवस की अवधि में। पत्रावली पूर्ण होने से 30 दिवस की अवधि में।				मुख्य सचिव
				सहायक आयुक्त / वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग	-	उप आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग
128 बी	(1) भूमि आवंटन के लिये अ. लाटरी के तहत ब. पहले आओ पहले पाओ के तहत सं. पसंद के अनुसार	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 90 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको कमेटी द्वारा जिसके सदस्य हैं, प्रबन्ध निदेशक, रीको, प्रबन्ध निदेशक, आर.एफ.सी., आयुक्त, उद्योग एवं आयुक्त, वीप	- - -	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको अध्यक्ष, रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको प्रबन्ध निदेशक, रीको रीको के निदेशकों के मण्डल की इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कमेटी	
	(2) जल कनेक्शन हेतु	20 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	-	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	
	(3) भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु	15 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	-	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	
	(4) अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु (औद्योगिक भवनों हेतु)	8 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	-	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	

(vii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 23 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नये क्रम संख्या 24 एवं 25 एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

24	सहकारिता विभाग	146	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सोसाइटी का पंजीकरण करना	पूर्व पत्रादि / ऑनलाईन आवेदन करने के तीस कार्य दिवस के भीतर	रजिस्ट्रार, संस्थाएं, संबंधित ईकाई, सहकारिता विभाग	कार्यालय रजिस्ट्रार, संस्थाएं में पदस्थापित तकनीकी सहायक / निरीक्षक, जिसे की रजिस्ट्रार, संस्थाएं, द्वारा इस हेतु आदेशित किया जाए।	खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया (संबंधित खण्ड)	रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, राजस्थान जयपुर	तकनीकी कारणों यथा- सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नही होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने आदि की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही करायी जा सकेगी।
		147		राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर-भीतर	उप रजिस्ट्रार, संबंधित इकाई, सहकारिता विभाग	कार्यालय उप रजिस्ट्रार, इकाई में पदस्थापित तकनीकी सहायक / निरीक्षक, जिसे कि उप रजिस्ट्रार, इकाई द्वारा इस हेतु आदेशित किया जाए।	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव
		148		राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर-भीतर	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संबंधित खण्ड, सहकारिता विभाग	कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, खण्ड में पदस्थापित तकनीकी सहायक / निरीक्षक, जिसे कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार, खण्ड द्वारा इस हेतु आदेशित किया जाए।	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव
		149		राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत शीर्ष सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर-भीतर	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम), सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव	राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण
25	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	150	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
					क्षेत्रीय अधिकारी		जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
		151	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	

				क्षेत्रीय अधिकारी		जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
152	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी		वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
				क्षेत्रीय अधिकारी		वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
153	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी		वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
				क्षेत्रीय अधिकारी		वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
154	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं पारगमन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार	120 दिन	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी		शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
				क्षेत्रीय अधिकारी		शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	

राज्यपाल के आदेश से,
पवन कुमार गोयल,
प्रमुख शासन सचिव।